

प्रेषक,

संख्या- 230 /USDMA-792-(2020)

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 31 मई, 2020

विषय- कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु तालाबन्दी की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock 1) हेतु निर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 का अनुपालन निम्नलिखित का समावेश करते हुए किये जाने हेतु मुझे समस्त सम्बन्धितों को निम्नवत् निर्देशित किये जाने के निदेश हुए हैं:

1. राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
2. रेड जोन में निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:
 - 1.1 व्यावसायिक व वाणिज्यीय गतिविधियों का संचालन प्रातः 7.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक ही हो सकेगा।
 - 1.2 आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सांय 4:00 बजे तक श्रेणी I एवं II की शत प्रतिशत तथा श्रेणी III व IV के कार्मिकों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सेवायें दे सकेंगे तथा इन सभी में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई सम्बन्धित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - 1.3 रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने व ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबन्धित रहेगा।
 - 1.4 जनपद से बाहर जाने या अन्दर आने के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।

3. सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा संज्ञान में आये कोविड-19 के संक्रमण के आधार पर कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-4(i, ii, iii) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी इन क्षेत्रों में उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या-5 के अनुरूप यथाआवश्यकता अन्य प्रतिबन्धों का क्रियान्वयन कर सकेंगे।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा यथाआवश्यकता बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-4(iv) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
5. तालाबन्दी की समाप्ति के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-1 के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों (SOP) के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. ऑरिन्ज व ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में सांय 7.00 से प्रातः 7.00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।
7. राज्य के अन्दर, अन्तर-जनपदीय परिवहन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।
8. अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से (निजी व वाणिज्यीय वाहनों के द्वारा) राज्य में आगमन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
9. हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों (SOP) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
10. उच्च घातकता वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-7 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी तथा बिन्दु संख्या-8 के अनुरूप आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जायेगा व साथ ही संलग्नक-1 के अनुरूप सभी स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
11. कार्यालयी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों के क्वारंटाइन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश संख्या-225/USDMA-792(2020)TC-1 दिनांक 29 मई, 2020 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त आदेशों एवं निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(उत्पल कुमार सिंह)


मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

भवदीय,


(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी